

पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या- 08/आ०प्र० दिनांक 20.05.2014 एवं विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 38/आ०प्र० दिनांक 02.09.2014 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उप मुख्यशीर्ष - 02 खाद्यान-बाढ़ चक्रवात आदि लघु शीर्ष 101, अनुग्राहिक राहत, उप शीर्ष-0002-खाद्यान की आपूर्ति विपत्र कोड एन० 2245021010002 मद मे 50.00 लाख (पचास लाख) रुपये एवं 400.00 (चार करोड़) रुपये कुल 450.00 (चार करोड़ पचास लाख) रुपये प्राप्त आवंटन को इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1032/आ०प्र० दिनांक 25.09.2014 द्वारा उप समाहर्ता प्रभारी आपदा प्रबंधन शाखा, पटना को उपावंटित किया जा चुका है।


पुनः उक्त शीर्ष में विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन, विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 50/आ०प्र० दिनांक 13.10.2014 द्वारा प्राप्त आवंटन मो० 623.25 (छः करोड़ तेईस लाख पचीस हजार) रुपये को उप समाहर्ता प्रभारी, आपदा प्रबंधन शाखा, पटना को उपावंटित करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2014-2015 में निकासी करने की स्वीकृती प्रदान की जाती है:-

मांग संख्या-39, विषय शीर्ष-21 03-आहार/पथ्य

क्रमांक	उपावंटित पदाधिकारी का विवरण	प्रभावित परिवारों की सं०	पूर्व उपावंटन	वर्तमान उपावंटन	योग
1	2	3		4	5
01.	उप समाहर्ता प्रभारी, आपदा प्रबंधन शाखा, पटना।	42857	450.00	623.25	1073.25
कुल योग :-		42857	450.00	623.25	1073.25


1. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उप मुख्यशीर्ष - 02 बाढ़ चक्रवात आदि के लघु शीर्ष 101, अनुग्राहिक राहत, उप शीर्ष - 0002 खाद्यान की आपूर्ति विपत्र कोड एन 2245021010002 मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
2. उपावंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद मे किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
3. उपावंटित राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन भारत सरकार के विहित प्रपत्र में एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ इस कार्यालय को शीघ्र भेज दी जाय।
4. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष-लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। कृपया एक विपत्र पर एक ही उप शीर्ष की राशि की निकासी की जाय ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण में कठिनाई नहीं हो।

5. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[बी० (2)] दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।
6. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2015 के पूर्व निश्चित रूप से कर देंगे। अन्यथा, इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

  
 जिला पदाधिकारी, 2/12  
 पटना।

ज्ञापांक 1423 / आ०प्र०, दिनांक 22/11/14

- प्रतिलिपि :- विपत्र लिपिक/नाजिर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- वरीय उपसमात्ता, आपदा प्रबंधन शाखा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-  जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।
- प्रतिलिपि :- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

  
 जिला पदाधिकारी, 2/12  
 पटना।